हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-9.13 पत्रावली पेश की। सर्वे रिकार्ड उपलब्ध करवाने हेतु [illegible] मिसल [illegible] हेतु दिनांक 18-9.13 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर 18-9.13 पत्रावली पेश है। वकील उप. प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया। मौके की विस्तृत रिपोर्ट तहसील से मंगवाया जाकर बाद [illegible] दर्ज किया गया। पत्रावली [illegible] शुमार [illegible] बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर	

वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर मौजुद कर्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट तौर से प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने आवेदन अन्तर्गत ारा 212 आरटीएक्ट के पेश कर जाहिर किया की अप्रार्थी द्वारा ख.न. 150 रकबा 9.14 ीघा में मोजा खोड़वा में बिना विधिक अनुमति के अवैध खनन का कार्य किया जा रहा । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खातेदारी शर्तो का उल्लघंन किय जा रहा है एवं खेती ोग्य भूमि का स्वरूप नष्ट किया जा रहा है प्रार्थी द्वारा भूमि के सबंध में खातेदारी नेरस्त कर बेदखली हेतु वाद पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है प्रार्थी ने जाहीर किया कीं द्वौराने वाद अप्रार्थी द्वारा लगातार खनन कार्य किया जा सकता है तथा वादग्रस्त ूमि का बैचान, हस्तान्तरण भी किया जा सकता है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करके सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है ताकि वादो की बहुलता ना हो एवं न्याय हीत में भी यह आवश्यक है कि भूमि के स्वरूप को और ज्यादा नष्ट होने से बचाने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक है ।

वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस जाहिर किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का खनन नहीं किया जा रहा है जबकि खनन कार्य अप्रार्थी के खेत से चिपते सरकारी खसरे में किया जा रहा है इस सबंध में वकील अप्रार्थी द्वारा कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया गया है । जबकि प्रा.पत्र के साथ संलग्न मौका फर्द एवं नक्शा ट्रेस अनुसार अप्रार्थी के खसरे में ही अवैध खनन दर्शाया गया है।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया, इन तमाम तथ्यों एवं दस्तावेजो के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि को दौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है ताकि भूमि से लगातार खनन को पाबंद किया जा सके एवं भूमि को खुर्द बुर्द होने से बचाया सके।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट एवं सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है ता वाद तक पूर्व में दिनांक 26.04.2018 को अप्रार्थी के विरूद्व जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को ता फेसला वाद तक यथावत रखी जाती है।

डॉ. इन्द्रजीत यादव IAS
सहायक कलक्टर
खींवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक 18.9.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

डॉ. इन्द्रजीत यादव IAS
सहायक कलक्टर
खींवसर